



कमांक / 177 / स्था. अवि. / भर्ती / 2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक / स्था. / अवि0 / 312 / 2021 / 857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क / स्था. / अवि. / 181 / वि.क.क.च.बो. / 2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा फार्मासिस्ट ग्रेड 02 के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के तहत परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को फार्मासिस्ट ग्रेड -02 के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल -06 (25300-80500) वेतन मान 25300/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री विकास सिंह भदौरिया	श्री दिनेश सिंह	79 बस्ती पारा कुकानार जिला सुकमा	सामान्य	अनारक्षित	मातृ शिशु अस्पताल सुकमा
2	श्री नरेश कुमार मण्डावी	श्री पी.आर. मण्डावी	172/के सम्राटनगर सुकमा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जगरगुण्डा
3	श्री हरदीप सोड़ी	श्री हिरमा राम सोड़ी	मिरीवाड़ा गादीरास जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केरलापाल
4	श्री प्रदीप कुमार भोई	श्री रोहित कुमार भोई	5 हास्पिटल कालोनी रोड गादीरास जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गादीरास

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-


1. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
2. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन कमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
3. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें

(Handwritten signature)


समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।

4. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
8. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. स्थानीय लेखा शाखा ।
14. व्यक्तिगत नस्ति ।
15. आदेश पुस्तिका ।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com

/ Fax no - 07864-284278



कमांक/178 /स्था. अवि./भर्ती/2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के तहत परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल -05 (22400-71200) वेतन मान 22400/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री बी भीष्मा	श्री बी. रामबाबू	गगनपल्ली बेस केम्प कोन्टा जिला सुकमा	समान्य	अनारक्षित	उप स्वास्थ्य केन्द्र कन्हईगुडा/बण्डा
2	श्री आशीष कुमार कांत	श्री पंचराम कांत	आवास पारा पेरमारास तोंगपाल जिला सुकमा	समान्य	अनारक्षित	उप स्वास्थ्य केन्द्र डब्बा
3	श्री सुरेश कुमार बघेल	श्री गागरुराम	बोंकडाओडार कुकानार जिला सुकमा	अजजा	अनारक्षित	उप स्वास्थ्य केन्द्र चितलनार
4	श्री सुकनाथ	श्री कोसा	तामिया राउतपारा गादीरास जिला सुकमा	अपिव	अनारक्षित	उप स्वास्थ्य केन्द्र चिंगावरम्
5	श्री धनपाल सिंह	श्री मुरारी लाल	हास्पिटल कालोनी वार्ड न0 13 दोरनापाल जिला सुकमा	अपिव	अपिव	उप स्वास्थ्य केन्द्र कांकेरलंका
6	श्री भीमराज	श्री सोड़ी पोज्जा	मूतोड़ी जीरमपाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र गोण्डेरास
7	श्री बण्डी राम कलमू	श्री जोगा राम कलमू	अटल चौक पोलमपल्ली जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र गोलापल्ली
8	श्री अर्जून सिंह वेट्टी	श्री राजू वेट्टी	लक्ष्मी सोरी सिर्डी साई वार्ड न0 13 पी.डब्ल्यू. डी रेस्टहाऊस के पीछे कोन्टा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र चिन्तलनार
9	श्री सोयम राकेश	श्री सोयम लच्छा	एराबोर जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र कामाराम

(Handwritten signature)

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
2. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
3. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
4. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
8. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।



15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)
सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 178A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. स्थानीय लेखा शाखा।
14. व्यक्तिगत नस्ति।
15. आदेश पुस्तिका।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)



क्रमांक / 179 / स्था. अवि. / भर्ती / 2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक / स्था./अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क्र/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के तहत परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल -05 (22400-71200) वेतन मान 22400/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परीवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	दयावती	श्री नरसिंह	गुमतापारा तालनार जिला सुकमा	अपिव	अनारक्षित	उप स्वास्थ्य केन्द्र इडजेपाल
2	दिप्ती मिस्त्री	श्री दिलीप मिस्त्री	86/1 कृष्ण मंदिर पारा कोन्टा जिला सुकमा	समान्य	अनारक्षित	उप स्वास्थ्य केन्द्र कोण्डासावली
3	प्रीति	श्री श्याम कुमार	वार्ड न0 13 लाईनपारा सुकमा जिला सुकमा	अपिव	अपिव	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केरलापाल
4	लक्ष्मी कश्यप	श्री देवानंद	रेड्डीपाल कांजीपानी सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र गोण्डेरास
5	कुमुदनी	श्री कुशलराम	कांजी पानी पटेल पारा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र सिलगेर
6	गीता मरकाम	श्री रामा मरकाम	ग्राम पाकेला जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र चिपुरपाल
7	ललिता	श्री परदेशी	गादीरास रोड सोनाकुकानार जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र मारोकी
8	सीमा कोरसा	श्री हुंगाराम	ग्राम सिलगेर जगरगुण्डा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र मिनपा
9	शारदा मांझी	श्री रामधर मांझी	रतिनाईकरास बिरसठपाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र गोरली
10	प्रमिला	श्री मासा	ग्राम कोत्ताचेरु भेज्जी जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र मूरतोण्डा
11	तुलसा	श्री एराराम	ग्राम गंजेनार, पोस्ट कोडरीपाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र चितलनार

Tomay


क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
12	कविता बृज	श्री मनमोहन बृज	ग्राम बारसैरास उरमापाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र सोनाकुकानार
13	मिथिला सलाम	श्री दुर्योधन सिंह सलाम	आर.ई.एस. कालोनी छिंदगढ़ जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र तालनार
14	ललिता	श्री देवा	ग्राम उरमापाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र कोलईगुड़ा
15	लक्ष्मी	श्री भीमा मड़कामी	ग्राम अरलमपल्ली जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र पेंटा
16	गीता नाग	श्री साधुराम नाग	कुम्हारपारा पुसपाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	उप स्वास्थ्य केन्द्र उरसांगल

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
2. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
3. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
4. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
8. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।


Chammy

11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परीक्षा अवधि में रहेगी, परीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला -सुकमा (छ.ग.)
 सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 173A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
 प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. स्थानीय लेखा शाखा।
14. व्यक्तिगत नस्ति।
15. आदेश पुस्तिका।


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला -सुकमा (छ.ग.)



—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक / स्था. / अवि0 / 312 / 2021 / 857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा ड्रेसर ग्रेड 02 के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के तहत परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को ड्रेसर ग्रेड 02 के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल -03 (18000-56900) वेतन मान 18000/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	सुमन	श्री गंगाधर	ग्राम चिपुरपाल जिला सुकमा	अजजा	अनारक्षित	सामु. स्वा. केन्द्र छिंदगढ़
2	श्री मंगलराम	श्री सुकमन	ग्राम कांजीपानी जिला सुकमा	अजजा	अजजा	सामु. स्वा. केन्द्र कौन्टा

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-


1. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
2. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन कमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
3. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से

(Handwritten signature)

- बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
4. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
 5. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
 6. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
 8. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
 10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
 11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
 13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
 14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
 15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
 16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।




17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा ।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)
सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 180A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. स्थानीय लेखा शाखा ।
14. व्यक्तिगत नस्ति ।
15. आदेश पुस्तिका ।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)



क्रमांक/181 /स्था. अवि./भर्ती/2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क्र/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा लैब असिस्टेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को लैब असिस्टेंट के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल -04 (19500-62000) वेतन मान 19500/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री रोशन कुमार दुबे	श्री हरिचरण दुबे	नाका पारा वार्ड न0 12 सुकमा	समान्य	अनारक्षित	ब्लड बैंक, जिला चिकित्सालय सुकमा
2	श्री अविनाश धुव	श्री रामलाल धुव	ग्राम पोस्ट छिंदगढ़ जिला सुकमा	अजजा	अजजा	जिला चिकित्सालय सुकमा


उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

1. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
2. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
3. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से

Chamm

- बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
4. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
 5. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
 6. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
 8. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 9. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
 10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
 11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
 13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
 14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
 15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
 16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।


17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा ।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 181A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

सुकमा दिनांक 24/05/2022

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. स्थानीय लेखा शाखा ।
14. व्यक्तिगत नस्ति ।
15. आदेश पुस्तिका ।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छोगो)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com

/ Fax no - 07864-284278



कमांक/183 /स्था. अवि./भर्ती/2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा ओ.टी अटेण्डर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को ओ.टी अटेण्डर के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल -01 (15600-49400) वेतन मान 15600/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री दुधी हुंगा	श्री सोमा	ग्राम बोदागुड़ा मिसमा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	सामु. स्वा. केन्द्र कोन्टा
2	श्री भूपेन्द्र कश्यप	श्री जग्गुराम कश्यप	हॉस्पिटल पारा छिंदगढ़ जिला सुकमा	अजजा	अजजा	मातृ शिशु अस्पताल सुकमा
3	श्री राजेश मांझी	श्री आसमन मांझी	बाला पारा चिपुरपाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	मातृ शिशु अस्पताल सुकमा

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन कमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से

(Handwritten signature)

- बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
 05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
 06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
 08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
 10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
 11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
 13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
 14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
 15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
 16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।



17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा ।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 183 A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

सुकमा दिनांक 24/05/2022

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. स्थानीय लेखा शाखा ।
14. व्यक्तिगत नस्ति ।
15. आदेश पुस्तिका ।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)



कमांक / 184 / स्था. अवि. / भर्ती / 2022

सुकमा दिनांक 24 / 05 / 2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक / स्था. / अवि0 / 312 / 2021 / 857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क / स्था. / अवि. / 181 / वि.क.क.च.बो. / 2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा ओ.पी.डी.. अटेण्डेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को ओ.पी.डी.. अटेण्डेंट के पद पर छ. ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल -01 (15600-49400) वेतन मान 15600/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परीवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री सोयम हिड़मा	श्री भीमा	ग्राम पालामड़गु वि.ख. कोन्टा जिला सुकमा	अजजा	अनारक्षित	सामु. स्वा. केन्द्र दोरनापाल
2	श्री सोड़ी सुरेश	श्री सोड़ी गंगा	ग्राम चिचोरगुड़ा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	सामु. स्वा. केन्द्र दोरनापाल
3	श्री लखेश्वर हेमला	श्री सुकड़ा	सामसेट्टी मिसमा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	सामु. स्वा. केन्द्र दोरनापाल
4	माड़वी शांती	श्री माड़वी गंगा	कांकरलंका जिला सुकमा	अजजा	अजजा	सामु. स्वा. केन्द्र दोरनापाल

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन कमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना

(सुकमा)

- पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
 05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
 06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
 08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
 10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
 11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
 13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
 14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
 15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।

(Form)

16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा ।
17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा ।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)

सुकमा दिनांक 24/05/2022

पु. क्रमांक / 194 A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. स्थानीय लेखा शाखा ।
14. व्यक्तिगत नस्ति ।
15. आदेश पुस्तिका ।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)



---:: आदेश ::---

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क्र/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा चौकीदार के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को चौकीदार के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल -01 (15600-49400) वेतन मान 15600/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री माडवी महेश	माडवी विनोद	ग्राम कोलईगुड़ा भेज्जी जिला सुकमा	अजजा	अनारक्षित	सामु. स्वा. केन्द्र कोन्टा
2	श्री रविन्द्र प्रसाद नाग	श्री जी.पी.नाग	गांधीनगर सुकमा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	जिला चिकित्सालय सुकमा

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।

04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी ।
08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी ।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा ।
17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा ।



18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)

सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 185A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. स्थानीय लेखा शाखा।
14. व्यक्तिगत नस्ति।
15. आदेश पुस्तिका।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com

/ Fax no - 07864-284278



कमांक / 186 / स्था. अवि. / भर्ती / 2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा वार्ड ब्वाँय के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वार्ड ब्वाँय के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल -01 (15600-49400) वेतन मान 15600/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री जयंत मरकाम	श्री मरकाम देवा	सुकमा जिला सुकमा	अजजा	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय सुकमा
2	श्री मड़कम कमलेश	श्री मासा	सामसेट्टी वि.ख. कोन्टा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र गोगुण्डा
3	सोड़ी सुरेश	श्री सोड़ी गंगा	चिचोरगुड़ा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र किस्टाराम
4	श्री लखेश्वर हेमला	श्री सुकड़ा	सामसेट्टी वि.ख. कोन्टा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र गोलापल्ली
5	श्री वंजाम देवा	श्री वंजाम सुकड़ा	पुनपल्ली दुब्बाटोटा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र इडजेपाल
6	श्री मिडयाम अविनाश	श्री जोगा	सामसेट्टी वि.ख. कोन्टा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र तोंगपाल
7	श्री माडवी हुंगा	श्री माडवी देवा	कोलईगुड़ा भेज्जी वि. ख. कोन्टा	अजजा	अजजा	सामु. स्वा. केन्द्र छिन्दगढ
8	श्री रामचरण	श्री कारम सिंगा	पालामड़गु वि. ख. कोन्टा	अजजा	अजजा	सामु. स्वा. केन्द्र दोरनापाल
9	श्री प्रवीण कुमार वंजाम	श्री जोगा	नागलगुण्डा दोरनापाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र जगरगुण्डा
10	श्री रमेश कुमार	श्री सुकालू	मुण्डी पारा मुरतोण्डा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	जिला चिकित्सालय सुकमा
11	श्री संदीप कुमार	श्री भीमा राम	बुटारास पाकेला जिला सुकमा	अजजा	अजजा	जिला चिकित्सालय सुकमा
12	श्री जयराम	श्री पोज्जाराम	धोबनपाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	जिला चिकित्सालय सुकमा
13	श्री राजेश मांझी	श्री आसमन मांझी	बालापारा चिपुरपाल पाकेला जिला सुकमा	अजजा	अजजा	मातृ शिशु अस्पताल सुकमा

(Handwritten signature)

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
14	श्री मंगलराम माड़वी	श्री हांदा माड़वी	सुकमा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	मातृ शिशु अस्पताल सुकमा
15	श्री विश्वनाथ	लुदरुराम	जूना पारा कुम्हार रास कुकानार जिला सुकमा	अपिव	अपिव	मातृ शिशु अस्पताल सुकमा

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।



13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी ।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा ।
15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा ।
17. तीन रुपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)

सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 186A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिले रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. स्थानीय लेखा शाखा ।
14. व्यक्तिगत नस्ति ।
15. आदेश पुस्तिका ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)



क्रमांक / 182 / स्था. अवि. / भर्ती / 2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक / स्था. / अवि0 / 312 / 2021 / 857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क्र/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा डार्क रूम असिस्टेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को डार्क रूम असिस्टेंट के पद पर छ. ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल -04 (19500-62000) वेतन मान 19500/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री रोशन कुमार दुबे	श्री हरिचरण दुबे	नाका पारा वार्ड न0 12 सुकमा	समान्य	अनारक्षित	जिला चिकित्सालय सुकमा

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।

(Handwritten signature)

04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी ।
05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।



18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।

19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)

सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 182A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिले रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कृ.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. स्थानीय लेखा शाखा।
14. व्यक्तिगत नस्ति।
15. आदेश पुस्तिका।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छोगो)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com

/ Fax no - 07864-284278



क्रमांक / 187 / स्था. अवि./भर्ती/2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क्र/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल -01 (15600-49400) वेतन मान 15600/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क्र.	नाम	पिता/प्रति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री गणेश मरकाम	श्री देवा	ग्राम पिडमेल चिंतागुफा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	सामु. स्वा. केन्द्र कोन्टा
2	श्री सोड़ी मनकू राम	श्री चिंगा	सरपंच पारा बगडेगुड़ा मिसमा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	सामु. स्वा. केन्द्र छिन्दगढ

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।

(Handwritten Signature)

04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
17. तीन रुपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।

(Signature)

18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)

सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 187A /स्था. अवि./भर्ती /2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. स्थानीय लेखा शाखा।
14. व्यक्तिगत नस्ति।
15. आदेश पुस्तिका।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)



कमांक/ 188 /स्था. अवि./भर्ती/2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा वार्ड आया के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वार्ड आया के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल -01 (15600-49400) वेतन मान 15600/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायापेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	जमुना	श्री महादेव	ग्राम कांजीपानी जिला सुकमा	अजजा	अजजा	जिला चिकित्सालय सुकमा
2	सलवम रंजिता	श्री सुब्बा	ग्राम फन्दीगुड़ा इंजरम	अजजा	अजजा	मातृ शिशु अस्पताल सुकमा
3	सोड़ी रीना	श्री आयता	ग्राम पलिया बड़ेसट्टी	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र गादीरास
4	अनिता	श्री फागूराम	कुम्हार रास सुकमा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	जिला चिकित्सालय सुकमा
5	नवीना	श्री हरिराम	ग्राम पाईक पारा धोबनपाल	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र गोरली
6	जागेश्वरी मरकाम	श्री हिडमा मरकाम	सुकमा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र सौतनार
7	पोडियाम आयते	पोडियाम गंगा	अतुल पारा कोलईगुड़ा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र इडजेपाल
8	कारम दिव्या	कारम सिंगा	ग्राम पालामडगु पोलमपल्ली जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र किस्टाराम

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।

(Signature)

02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।



16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा ।
17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा ।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)

सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 188A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. स्थानीय लेखा शाखा ।
14. व्यक्तिगत नस्ति ।
15. आदेश पुस्तिका ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा (छ0ग0)

E.Mail ID - cmho.sukma@gmail.com

/ Fax no - 07864-284278



कमांक / 189 / स्था. अवि./भर्ती/2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को भृत्य के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल -01 (15600-49400) वेतन मान 15600/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायापेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री सोड़ी मनकुराम	श्री चिंगा	सरपंच पारा बगड़ेगुड़ा मिसमा जिला सुकमा	अजजा	अजजा	मातृ शिशु अस्पताल सुकमा
2	सलवम रंजिता	श्री सुब्बा	ग्राम फन्दीगुड़ा, इंजरम जिला सुकमा	अजजा	अजजा	जिला चिकित्सालय सुकमा
3	श्री रामचंद्र	श्री चितुराम	ग्राम तालनार जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र गादीरास
4	श्री माड़वी हरीश	श्री माड़वी देवा	ग्राम मेड़वाही अरलमपल्ली जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र चिन्तलनार
5	माड़वी जोगी	श्री माड़वी जोगा	ग्राम भाटपाड़ चिंतागुफा जिला सुकमा	अजजा	अजजा (महिला)	जिला चिकित्सालय सुकमा
6	श्री विश्वनाथ	श्री दूलारुराम	जूनापारा कुम्हाररास कुकानार जिला सुकमा	अपिव	अपिव	कार्या. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी जिला सुकमा
7	दिगेश्वरी	श्री गोविन्द सागर	सुकमा जिला सुकमा	अजा	अजा	प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र बुडदी

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-


01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(Handwritten signature)

02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
17. तीन रुपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।



19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा ।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)

सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 189 A / स्था. अवि. / भर्ती / 2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा / उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. स्थानीय लेखा शाखा ।
14. व्यक्तिगत नस्ति ।
15. आदेश पुस्तिका ।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)



—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क्र/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा घोबी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को घोबी के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल -01 (15600-49400) वेतन मान 15600/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री रानूराम	श्री साधुराम	ग्राम बोकड़ा ओडार कुकानार जिला सुकमा	अपिव	अनारक्षित	सामु. स्वा. केन्द्र छिन्दगढ़

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(Handwritten signature)

05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।
16. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
17. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।
18. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।
19. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)

सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक / 190A /स्था. अवि./भर्ती/2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिल रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. स्थानीय लेखा शाखा ।
14. व्यक्तिगत नस्ति ।
15. आदेश पुस्तिका ।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला -सुकमा (छ.ग.)



कमांक/191 /स्था. अवि./भर्ती/2022

सुकमा दिनांक 24/05/2022

—:: आदेश ::—

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक/ स्था. /अवि0/312/2021 /857 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 23.08.2021 एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग के ज्ञापन क/स्था./अवि./181/वि.क.क.च.बो./2021 जगदलपुर दिनांक 14.01.2022 द्वारा स्वीपर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती के तहत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वीपर के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षित नियम 2017 के वेतन मेट्रिक्स लेवल -01 (15600-49400) वेतन मान 15600/- तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के अनुसार स्टायपेण्ड पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	पदस्थापना स्थान
1	श्री देवा राम	श्री केशा राम	ग्राम पलिया बड़ेसेदटी जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र कुकानार
2	श्री कमलेश कुमार	श्री माड़ाराम	पटेलपारा उरमापाल जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र इडजेपाल
3	श्री राकेश कुमार	श्री रामधर मांझी	ग्राम बिरसठपाल रतिनाईकरास पाकेला जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र किस्टाराम
4	श्री देवा राम	श्री आरा	स्कूल पारा ग्राम पोण्डूम जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र चिन्तलनार
5	श्री कारम मोहन	श्री कारम राजा	ग्राम पालामडगु पोलमपल्ली जिला सुकमा	अजजा	अजजा	प्राथ. स्वा. केन्द्र गोगुण्डा

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-


01. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति तिथि से 15 दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा में उपस्थिति देकर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना निरस्त माना जावेगा।
02. यह नियुक्ति आदेश रिट पिटिशन कमांक (सी) 591/2012, 592/2012 एवं 594/2012 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगी।
03. स्थाई नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्ध स्थायी) सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा

- एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वे कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है ऐसे स्थिति में उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी और और उन्हें एक माह की अवधि का वेतन तथा भत्ते की राशि जमा करना होगा।
04. चयनित अभ्यर्थी द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 03 अन्तर्गत देय राशि उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
 05. उपरोक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिन अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन में विपरित टिप्पणी पायी जाती है तथा उन्हें शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उनकी नियुक्ति तत्काल निरस्त की जाएगी तथा उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
 06. चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अर्हता एवं अन्य दस्तावेजों की दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 07. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा मंडल द्वारा शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
 08. चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश के पालन में पदस्थापना स्थान पर जाने एवं कार्यभार ग्रहण करने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 09. चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जानकारी झूठा पाये जाने की स्थिति में सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
 10. उक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता अंतिम चयन सूची के मेरिट के अनुसार निर्धारित होगा।
 11. यह नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, परिवीक्षा अवधि में कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाया जा सकेगा या नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 12. उपर्युक्त नियुक्ति में (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग) आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
 13. चयनित उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति कर्तव्य परायणता एवं निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
 14. उम्मीदवार को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना होगा तथा किसी प्रकार का अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना होगा।
 15. यह नियुक्ति सुकमा जिले में रिक्त पदों के विरुद्ध की गई है। अतएव अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा कि, वह आगामी 10 वर्षों तक जिले के बाहर स्थानांतरण

(10000)


हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। उसे सुकमा जिला के किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र में अपनी सेवाएं देना होगा।

16. आवश्यकतानुसार शवविच्छेदन (पोस्टमार्टम) कार्य करना अनिवार्यतः करना होगा।
 17. अभ्यर्थी को नव पदस्थापना स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम तीन वर्ष की सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
 18. तीन रूपये की राशि शासकीय खजाने में लेखा शीर्ष 0210 मेडिकल में जमाकर चालान की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।
 19. सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. पासबुक दो-दो प्रतियों में जमा करना होगा।
 20. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पश्चात् पदस्थापना स्थान पर मुख्यालय बनाकर निवास करना अनिवार्य होगा।
- (कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)
सुकमा दिनांक 24/05/2022

पृ. क्रमांक/191A /स्था. अवि./भर्ती/2022
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर नवा रायपुर जिला रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. तृतीय तल इन्द्रावती भवन अटलनगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला सुकमा की ओर सादर सूचनार्थ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. डिप्टी कलेक्टर सह नोडल अधिकारी स्वास्थ्य सेवायें जिला सुकमा की ओर सूचनार्थ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय सुकमा/उप कोषालय कोन्टा की ओर सूचनार्थ।
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सुकमा की ओर सूचनार्थ।
11. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड -सुकमा/छिंदगढ़/कोन्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. संबंधित श्री/श्रीमती/कु.की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. स्थानीय लेखा शाखा।
14. व्यक्तिगत नस्ति।
15. आदेश पुस्तिका।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला -सुकमा (छ.ग.)